जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 28.03.2026

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 26.03.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा थानाध्यक्ष श्री रामस्वरुप कमल थाना दुधारा द्वारा अभियुक्त सिराजुद्दीन पुत्र मंजूर अली निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 07 अदद गोवंशीय पशु की खाल बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । विवेचक उ0नि0 श्री ऋषिगोपाल सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 907/2008 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त सिराजुद्दीन उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3/5/8 सीएस एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा ***श्री अरविन्द कुमार शर्मा*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 665/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित 25,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त सौरभ शर्मा पुत्र उमेश कुमार निवासी खैरा, थाना हवेली खड़गपुर, जनपद मुंगेर, राज्य बिहार को आज दिनाँक 28.03.2026 को सालेहपुर तिराहा से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- 01. सौरभ शर्मा पुत्र उमेश कुमार निवासी खैरा, थाना हवेली खड़गपुर जनपद मुंगेर, राज्य बिहार।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द शर्मा थाना दुधारा, हे0का0 जयचन्द्र कनौजियास, का0 गुड्डू यादव।

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना महुली पुलिस द्वारा* वारण्टी नाम पता 01. नौरंगलाल पुत्र किशोर ग्राम हरदी थाना महुली, 2. श्रीमती सुदामा देवी पत्नी नौरंगलाल ग्राम हरदी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अजीत सिंह, म0पी0आर0डी0 माया देवी।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता खेतहिया उर्फ चित्ररेखा पत्नी स्व0 श्रीराम केवट निवासी डिहुलिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सुरेश यादव, म0का0 सविता गुप्ता।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 309 वाहनों से 3,05,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 28.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 309 वाहनों से 3,05,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 09 स्थान पर लगवाये गये 32 सीसीटीवी कैमरे

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत आज दिनाँक 28.03.2026 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 09 स्थानों पर 32 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना दुधारा पुलिस द्वारा 04 स्थान पर 13 कैमरा, थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 05 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर, जोन गोरखपुर के निर्देशन में तथा श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती, परिक्षेत्र बस्ती के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद, एसओजी टीम, सर्विलांस सेल पुलिस टीम द्वारा नकली सोने की ईंट देकर 08 लाख रुपए की ठगी व धोखाधड़ी का सफल अनावरण किया गया।

घटना विवरण:-

दिनांक 26.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी गल्ला व्यवसायी श्री सन्नी कुमार गुप्ता पुत्र अयोध्या प्रसाद गुप्ता निवासी खड्डा थाना खड्डा जनपद संतकबीरनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनाँक 23.03.2026 को 04 व्यक्तियों द्वारा मिलकर नकली गोल्ड देकर 08 लाख रुपए ठगी व धोखाधड़ी कर लिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 197/2026 धारा 352/318(4)/319(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। आज दिनांक 29.03.2026 को कुल 02 अभियुक्तगणो को स्पर्श हास्पिटल से पहले कट से डडवा नहर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01.प्रदीप कुमार राव पुत्र स्व0 संतकुमार निवासी लोहदर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती (हा0मु0 नौतनवा बाईपास व्हाइट हाउस मैरेज हाल के बगल मे किराये की मकान पुनित तिवारी का) थाना नौतनवा जनपद महराजगंज उम्र करीब 47 वर्ष।

02.संजय चौधरी पुत्र संतराम चौधरी निवासी बैरनपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर उम्र करीब 42 वर्ष(होमगार्ड)।

बरामदगी का विवरणः-

08 लाख रुपया नगद, 03 अदद मोबाइल, 02 अदद पीली धातु का बिस्कुट वजन करीब 200 ग्राम, 01 सेट वर्दी मय बेल्ट व नेम प्लेट, 01 अदद आधार कार्ड व 01 अदद मोटरसाइकिल एच एफ डिलक्स(UP51AS 5348)।

आगामी कार्रवाईः-

कुल 02 अभियुक्तगणो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया है।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो प्रदीप कुमार राव द्वारा बताया कि दिनांक 23.03.2026 को मोबाइल से वार्ता के क्रम में सन्नी कुमार गुप्ता पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी खड्डा जनपद कुशीनगर को सोने का बिस्कुट देने हेतु बुलाया था, सन्नी कुमार गुप्ता कुर्थिया पेट्रोल पम्प के दक्षिण पोखरा के बगल मे उपस्थित आये, जिनसे सोने का बिस्कुट देकर आठ लाख रुपया ले लिया गया। पहले से वार्ता के क्रम में संजय चौधरी बावर्दी मौके पर पहुंचे और 08 लाख रुपये बैग सहित मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर लेकर चले गये तथा रुपये को हम लोग सुरक्षित स्थान पर रख दिये तथा संजय चौधरी अपनी ड्यूटी करने लगे। इसी बीच अखबार से सूचना मिली की सन्नी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद मे मुकदमा लिखवाया गया है। इस जानकारी के क्रम मे आज हम लोग उक्त रुपये को लेकर नौतनवा जा रहे थे कि आप लोग पकड़ लिये।

दहेज लोभियों के विरुद्ध थाना महुली पुलिस की बड़ी कार्यवाही: दहेज मृत्यु के मामले में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध संतकबीरनगर पुलिस का अभियान निरंतर जारी

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री दुर्गेश पाण्डेय*** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 105/2026 धारा 80(2)/85/92 बी0एन0एस0 व ¾ डी0पी0एक्ट में वांछित 04 अभियुक्तगण नाम पता 1-मनीष गौड पुत्र रामकिशुन उम्र 28 वर्ष 2-रजनीश कुमार उर्फ पप्पू गौड पुत्र रामकिशुन उम्र करीब 32 वर्ष 3-रामकिशुन पुत्र रामशरोस उम्र 62 वर्ष 4-रीता पत्नी रजनीश गौड उम्र करीब 32 वर्ष साकिनान वार्ड न0 08 रंगपाल नगर नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीर नगर को हरिहरपुर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 28.03.2026 को थाना महुली पर वादी की पुत्री को प्रतिवादीगण द्वारा दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ित व मारपीट करने तथा दिनाँक 26.03.2026 वादी की पुत्री के मृत अवस्था में मिलने के संबंध में थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध गंभीरता से लेते हुए थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, हे0का0 पंकज यादव, का0 छोटेलाल कनौजिया, म0का0 सौम्या पाण्डेय, म0का0 कमलेश कुमारी।